न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 रिव्यू

श्रीकृष्ण ब्राह्मण पुत्र केदारनाथ ब्राह्मण निवासी ग्राम नखलौली तहसील अटेर जिला भिण्ड म.प्र.

——आवेदक

बनाम

हाकिम प्रसाद पुत्र रन्धीर प्रसाद निवासी ग्राम नखलौली हॉल निवास ऐंतहार जिला भिण्ड म.प्र.

——अनावेदकगण

रिव्यू अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. 1414—I/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से रिव्यू निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, ग्राम नखलौली तह. अटेर जिला भिण्ड के भूमि सर्वे क. 255/1 रकवा 0.10 हे., सर्वे क. 298 रकवा 0.31 हे., सर्वे क. 415 रकवा 0.08 हे., सर्वे क. 417 रकवा 0.08 हे., सर्वे क. 418 रकवा 0.08 हे. एवं सर्वे क. 1534 रकवा 0.46 हेक्टर में से आवेदक का हिस्सा 2/5 तथा अनावेदक का हिस्सा 3/5 पूर्व में बटवारे में रखा गया था। उक्त बटवारे की अपील विचाराधीन रहते अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष रिव्यू प्र.क. 74/2008—09 में उभयपक्ष में राजीनामा हो कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा प्र.क. 35/2007—08/अ—27 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2008 यथावत् रखा गया। इस प्रकार उभयपक्ष उक्त आदेशानुसार मौखे पर काबिज हो कर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा अनु.वि.अधि. अटेर के समक्ष प्रस्तुत की

... आदेश को चुनौती दी गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/पुर्नास्थपन/भिण्ड/भू.रा/2017/1784

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–7–17	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक–अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी की ओर उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत कर उपस्थित हुये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पंर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1414–एक/17 में पारित आदेश दिनांक 05.6.17 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक तीन/पुर्नास्थपन/भिण्ड/भू.रा/2017/1784 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1414–एक/17 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 5.6.17 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक तीन/पुर्नास्थपन/भिण्ड/भू.रा/2017/1784 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य